

अध्याय की सूचि हरियाणा सिविल सेवाएं (यात्रा भत्ता) नियम, 2016		देखिए पृष्ठ
अध्याय – I	प्रारम्भिक	1
अध्याय – II	परिभाषाएं	5
अध्याय – III	सामान्य	7
अध्याय – IV	यात्रा के विभिन्न साधन तथा हकदारी	11
अध्याय – V	दैनिक भत्ता तथा होटल प्रभारों की प्रतिपूर्ति	19
अध्याय – VI	न्यायालय के सम्मुख जांच के लिए उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता	25
अध्याय – VII	विभागीय परीक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए यात्रा भत्ता	31
अध्याय – VIII	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	35
अध्याय – IX	चिकित्सा परामर्श/उपचार के लिए यात्रा भत्ता	41
अध्याय – X	सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान मृत्यु पर यात्रा भत्ता	43
अध्याय – XI	भारत से बाहर दौरे के मामले में यात्रा भत्ता	47
अध्याय – XII	यात्रा भत्ते पर नियन्त्रण	55
अध्याय – XIII	विविध	59

नियमों की सूची हरियाणा सिविल सेवाएं (यात्रा भत्ता) नियम, 2016	
अध्याय – I	प्रारम्भिक
1.	संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ
2.	लागूकरण का विस्तार
3.	इन नियमों से असंगत विशेष उपबन्ध, यदि कोई हो
4.	यात्रा भत्ते के दावे का विनियमन
5.	निर्वचन, संशोधन तथा छूट करने की शक्ति
6.	शक्तियों का पुनः प्रत्यायोजन
7.	निरसन
अध्याय – II	परिभाषाएं
8.	परिभाषाएं
अध्याय – III	सामान्य
9.	यात्रा भत्ते की विभिन्न किस्म।
10.	सरकारी कर्मचारियों का श्रेणीकरण।
11.	अवकाश के समय या निलम्बन के अधीन यात्रा भत्ते की हकदारी।
12.	दौरे के लिए सक्षम प्राधिकारी।
13.	यात्रा की शुरुआत तथा समाप्ति।
14.	यात्रा भत्ते का मिथ्या दावा/प्राप्ति।
अध्याय – IV	यात्रा के विभिन्न साधन तथा हकदारी
15.	हकदारी के समायोजन की श्रेणी या से ऊपर की श्रेणी द्वारा यात्रा
16.	यात्रा की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति।
17.	बस द्वारा यात्रा की हकदारी।
18.	रेल द्वारा यात्रा की हकदारी।
19.	समुद्र या नदी स्टीमर द्वारा यात्रा की हकदारी।
20.	हवाई जहाज द्वारा यात्रा की हकदारी।
21.	अपवादिक परिस्थितियों में हवाई जहाज द्वारा यात्रा के लिए अनुमति।
22.	हवाई जहाज द्वारा यात्रा के लिए हवाईकम्पनी का चयन।

23.	आरक्षण तथा रद्दकरण प्रभारों की प्रतिपूर्ति।
24.	दावे के लिए संलग्न की जाने वाली टिकटें।
25.	नौका या सार्वजनिक वाहन के टोल प्रभारों की प्रतिपूर्ति।
26.	अपने वाहन या टैक्सी द्वारा यात्रा की हकदारी तथा सड़क मील-भाड़ा भत्ते की दर।
27.	अपने वाहन द्वारा यात्रा के मामले में टोल प्रभारों की प्रतिपूर्ति।
28.	सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनमें से एक के वाहन में यात्रा।
29.	दौरे के समय स्थानीय यात्रा।
30.	मुख्यालयों के 20 किलोमीटर के घेरे के भीतर यात्रा।
अध्याय – V	दैनिक भत्ता तथा होटल प्रभारों की प्रतिपूर्ति
31.	हरियाणा के भीतर तथा बाहर दैनिक भत्ते की दर (दरें)।
32.	दैनिक भत्ते की प्राप्ति के लिए शर्तें।
33.	एक मास में दस दिन से अधिक दैनिक भत्ता की प्राप्ति।
34.	शहर के सन्दर्भ में दैनिक भत्ता जहां रात व्यतीत है।
35.	बाध्य ठहराव के मामले में दैनिक भत्ते की दर।
36.	दैनिक भत्तों की प्राप्ति जब यात्रा सरकारी वाहन द्वारा की गई है।
37.	दैनिक भत्ते की प्राप्ति जब यात्रा स्वयं के वाहन या टैक्सी द्वारा की गई है।
38.	विश्राम गृह में ठहरने के मामले में दैनिक भत्ता।
39.	दैनिक भत्ते की प्राप्ति जब राज्य अतिथि के रूप में समझा गया है।
40.	हरियाणा तथा चण्डीगढ़ के बाहर होटल प्रभारों की प्रतिपूर्ति।
अध्याय – VI	न्यायालय के सम्मुख जांच के लिए उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता
41.	पुलिस/चौकसी/ सी.बी.आई या न्यायालय के सम्मुख उपस्थिति के लिए यात्रा भत्ता।
42.	जांच अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता।
43.	रिकार्ड को पढ़ने के लिए यात्रा हेतु यात्रा भत्ता।
44.	सबूत देने हेतु यात्रा का यात्रा भत्ता।
45.	अन्य सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में यात्रा के लिए यात्रा भत्ता।
46.	विदेश सेवा के समय सबूत देने के लिए यात्रा हेतु यात्रा भत्ता।

47.	प्राईवेट (निजि) पक्षकार द्वारा न्यायिक कार्यवाइयां संस्थित करने के मामले में यात्रा भत्ता ।
48.	सेवानिवृत्त कर्मचारी को यात्रा भत्ता ।
अध्याय – VII	विभागीय परीक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए यात्रा भत्ता
49.	परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतू यात्रा भत्ता ।
50.	अन्तिम क्षण में विभागीय परीक्षा का रद्दकरण ।
51.	भारत में प्रशिक्षण के समय यात्रा भत्ता ।
52.	जहां प्रशिक्षण केन्द्र/संस्था अस्थाई मुख्यालय के रूप में नियत है ।
अध्याय – VIII	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता
53.	संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान की हकदारी ।
54.	संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान की दरें ।
55.	निलम्बनाधीन अवधि में मुख्यालय को बदलने पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ता/संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान ।
56.	500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थानान्तरण पर यात्रा के लिए समय सीमा ।
57.	अस्थाई स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता ।
58.	अतिरिक्त कार्यभार के मामले में यात्रा भत्ता ।
59.	कार्यभार लेने तथा देने पर यात्रा भत्ता ।
60.	पारगमन के समय दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरण ।
61.	अवकाश के समय स्थानान्तरण के मामले में स्थानान्तरण यात्रा भत्ता ।
62.	पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ता ।
63.	विदेश सेवा में स्थानान्तरण पर या दूसरी सरकार/ विभाग में प्रतिनियुक्ति पर यात्रा भत्ता ।
अध्याय – IX	चिकित्सा परामर्श/उपचार के लिए यात्रा भत्ता
64.	चिकित्सा उपचार के लिए यात्रा भत्ता ।
65.	चिकित्सा उपचार के लिए यात्रा का प्रारम्भ तथा समाप्ति ।
66.	चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख पेश होने के लिए यात्रा भत्ता ।
67.	परिचर के लिए यात्रा भत्ता ।
68.	परामर्श के लिए प्रतिनियुक्त चिकित्सा अधिकारी को यात्रा भत्ता ।

अध्याय – X	सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान मृत्यु पर यात्रा भत्ता
69.	सेवानिवृत्ति पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ता / संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान।
70.	सेवानिवृत्ति पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ते की सुविधा का लाभ उठाने के लिए शर्तें।
71.	सेवानिवृत्ति पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ते की प्राप्ति के लिए प्रक्रिया।
72.	सेवानिवृत्ति पर वाहन की ढुलाई।
73.	अन्तिम स्टेशन या 20 किलोमीटर के भीतर आवास।
74.	मृतक या गायब सरकारी कर्मचारी के परिवार को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता।
75.	मृतक या गायब सरकारी कर्मचारी के परिवार की ग्रेडिंग।
अध्याय – XI	भारत से बाहर दौरे के मामले में यात्रा भत्ता
76.	भारत से बाहर दौरे के मामले में यात्रा भत्ता प्रदान करना।
अध्याय – XII	यात्रा भत्ते पर नियन्त्रण
77.	मास में एक बार दावा प्रस्तुत किया जाना।
78.	सरकारी कर्मचारी द्वारा घोषणा।
79.	दावा करने की समय सीमा।
80.	दौरे पर प्रतिबन्ध।
81.	नियन्त्रक अधिकारी तथा उसको कर्तव्य।
82.	यात्रा भत्ते बिलो पर नियन्त्रण।
अध्याय – XIII	विविध
83.	प्रथम नियुक्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं।
84.	पुनर्नियुक्ति / पुनर्नियोजन पर वास्तविक यात्रा खर्च।
85.	अवकाश के दौरान या निलम्बन के अधीन की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता
86.	हरियाणा या किसी अन्य सरकार के अधीन संगठन के सम्बन्ध में यात्रा।